संख्या-347/2020/824/22-2-2020-17(965)/2019

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 01 सितम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द, निवासी जनपद-गाजियाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-8326/2019 विक्की उर्फ विकेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 25.08.2020 का संदर्भ ले, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

In view of the above, we direct the respondent-State to consider afresh the cases of the petitioners herein for their premature release in terms of our order dated 08.06.2020 and pass an appropriate order in that regard within a period of one week from today. The same be placed before us on the next date of hearing.

उपरिसंदर्भित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उल्लिखित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2020 का क्रियात्मक अंश निम्नलिखित है:-

Taking into consideration the submissions made by the learned counsel appearing for the parties, we direct the learned counsel appearing for the State of U.P. to consider the case of the petitioner (Satish @ Sabbe) in Special Leave Petition (Crl.) No.7369 of 2019, which is stated to be pending before the State, as also the case of the petitioner (Vikky Alias Vikendra Alias Virendra) in Special Leave Petition (Crl.) No.8326 of 2019, which was earlier rejected by the said State, for their premature release as per the Jail Manual, within a period of four weeks from today and place the orders before this Court.

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.08.2020 के परिपालन हेतु आपको निर्गत शासन के पत्र संख्या-809/22-2-2020-21(55)2019, दिनांक 25.08.2020 में अपेक्षित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में अपने पत्र संख्या-21442/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-27.08.2020, दिनांक 28.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

3- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द, ग्राम-कुर्सी, थाना-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। प्रश्नगत बन्दी का अपराध 22 वर्षीय युवक के अपहरण से सम्बन्धित है। अभियोगी नैपाल सिंह ने दिनांक 13.06.2002 को थाना-कविनगर, जिला गाजियाबाद में अपने पुत्र विशाल की गुमशुदगी की लिखित सूचना दी कि उनका छोटा पुत्र विशाल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 12.06.2002 को एक घंटे में वापस आने को कहकर स्कूटर से अपने घर से गया था, लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस द्वारा विशाल की तलाश की जाती रही। इसी बीच अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.07.2002 को अपहृत विशाल से फिरौती की रकम दो करोड देने की मांग वाला पत्र वादी को भेजा गया, जिसे वादी द्वारा दिनांक 04.07.2002 को थानाध्यक्ष कविनगर को दिया गया। दिनांक 14.07.2002 को थाना-कविनगर पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर थाना-कविनगर क्षेत्र में स्थित मकान संख्या-के0एल0-153 से अपहृत विशाल को बरामद तथा अभियुक्त रामवीर को मय फिरौती की धनराशि रू0-31 लाख 70 हजार गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के समय शेष तीनों अभियुक्तगण अशोक, सतीश उर्फ सत्ते एवं विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र उक्त मकान से भाग गये थे।

4- उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-01), गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2020 तक 16 वर्ष 10 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 09 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जेल रिपोर्ट के बन्दी आयु आयु दिनांक 25.08.2020 को 43 वर्ष है।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 27.08.2020 में अंकित किया गया है कि वादी पक्ष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र से आशंकित है तथा उसके कारागार से मुक्त होने पर वादी पक्ष को जान-माल का खतरा है। बन्दी शातिर किस्म का खतरनाथ अपराधी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद की आख्यानुसार बन्दी के पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा बन्दी की आयु 43 वर्ष होने के दृष्टिगत बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी को समयपूर्व रिहा करने पर क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड सकने के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई से दोनों पक्षों में विवाद भी हो सकता है। वादी पक्ष में वर्तमान में बन्दी के प्रति रोष की भावना है, बन्दी को अभी जेल में निरूद्ध रखना उचित होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी बन्दी के समयपूर्व रिहाई के दृष्टिगत उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र के समयपूर्व कारागार से रिहाई की दशा में वादी पक्ष द्वारा अपने जानमाल का खतरा बताया गया है, जिसके दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है।

6- दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, बन्दी द्वारा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले किये गये आपराधिक कृत्य, वादी पक्ष को जानमाल की हानि की गम्भीर आशंका तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद की अद्वतन आख्या/संस्तुति इत्यादि पर सम्यक् विचार करते हुए सिद्धदोष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- अत: विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-8326/2019 विक्की उर्फ विकेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशो दिनांक 08.06.2020 तथा 25.08.2020 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र (बन्दी संख्या-1749/2006) पुत्र श्री ताराचन्द, निवासी जनपद-गाजियाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 तथा उ0प्र0जेल मैनुअल के प्रस्तर-87 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-347/2020/824(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री सर्वेश सिंह बघेल, एडवोकेट आंन रिकार्ड, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 25.08.2020 के संदर्भ में।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।